उ.1 5/10 पत्रावली कोर्ट में पेश हुई। दोनों पक्षों को तर्क सुनने का बराबर अवसर दिया गया है तथा वे विवाह के अस्तित्व की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने की स्थिति में लगाते रहे। पत्रावली प्रस्तुत होकर अवसर से कार्य से तथा वाद मनमानित संतुष्ट वाद है।